म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क./बी–6/नियमन/आम खटाई/500/ ।।११ भोपाल,दिनांक २४/01/2019

प्रति,

1 संयुक्त /उप संचालक,
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय,
.... (समस्त)

2 भारसाधक/सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति (समस्त)

विषयः–मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 23 जनवरी 2019 मे अमचूर या आमचूर या आमखटाई या सूखा आम या आम के सूखे गूदे'' को अधिसूचित किये जाने के संबंध मे।

संदर्भः–मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 23 जनवरी 2019

विषय संदर्भ मे मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 60 मे प्रदत्त शक्तियो मे लाते हुए राज्य सरकार एतदद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 2(1)(क) के तहत अनुसूची के शीर्षक ''दस–चटनी मसाले तथा अन्य वस्तुऐं'' की सूची मे नवीन मद 14 ''अमचूर या आमचूर या आमखटाई या सूखा आम या आम के सूखे गूदे'' को अंतः स्थापित करते हुए शामिल किया गया है। जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 23 जनवरी 2019 को हुआ है। सुलभ संदर्भ हेतु राजपत्र की छायाप्रति संलग्न है।

अतः आपके संभाग अन्तर्गत मंडियों मे उपरोक्त राजपत्र दिनांक 23 जनवरी 2019 की प्रति चस्पा कर समुचित प्रचार–प्रसार कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे।

संलग्न :–उपरोक्तानुसार

अपर संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 34] भोपाल, बुधवार, दिनांक 23 जनवरी 2019—माघ 3, शक 1940

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2019

क्र. डी-15-73-17-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 60 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 2(1)(क) के तहत अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है जो, उक्त धारा के परन्तुक द्वारा अपेक्षित के अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित किये जा चुके हैं:—

संशोधन

उक्त अधिनियम की अनुसूची में शीर्ष "दस-चटनी मसाले तथा अन्य वस्तुएँ" में नवीन मद 14 "अमचूर या आमचूर या आमखटाई या सूखा आम या आम के सूखे गूदे" को अंतःस्थापित करते हुए शामिल किया जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश कुमार शुक्ला, सचिव.

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2019

पृ. क्र. डी-15-73-17-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23 जनवरी 2019 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश कुमार शुक्ला, सचिव.

Bhopal, the 23rd January 2019

No. D-15-73-17-XIV-3.—In exercise of the powers conferred in Section 60 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of the year 1973) the State Government hereby, make the following amendment in the Section 2(1)(a) Schedule of the said Act, the Same having been previously published as required in proviso of the said Section:—

AMENDMENT

In the Schedule of the said Act, under the heading "X-Condiments, Spices and Others", a new item number XIV "Amchur, Aamchur, Aamkhatai, Sukha Aam or Aam ke Sukhe Gude" shall be here by included.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
MUKESH KUMAR SHUKLA, Secy.